ले.प.प्रति.सं.-64/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **रुद्रप्रयाग** के **12/2014** से **01/2019** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज पाल**,** लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.02.2019 से 22.02.2019 तक श्री प्रभाकर दुबे**,** वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग-प्रथम</u>

1- **परिचयात्मक-** इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही**,**सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी**,** एवं श्री श्यामकरन सिंह**,**सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनाँक 19/12/2014 से 23/12/2014 तक श्री पी सी श्रीवास्तव**,** लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी**,** जिसमे प्रारम्भ से 11/2014 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2014 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- रुद्रप्रयाग

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	25.64	25.64	17.08	17.08	-	-
2016-17	-	-	46.46	30.98	13.48	13.26	-	15.70
2017-18	-	-	39.92	39.50	19.78	19.62	-	0.58
2018-19 (1/ 2019 तक)	-	-	48.23	31.67	23.30	13.30	-	26.56

(ब)Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य(+)	बचत(-)
.....शून्य.....					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुये इकाई "सी" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

अर्थ एवं संख्याधिकारी
अपर सांखिकीय अधिकारी
सहायक सांखिकीय अधिकारी
प्रधान सहायक
वरिष्ठ सहायक
कनिष्ठ सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/15 एवं 03/16 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

----------शून्य ----------

भाग दो-'ब'

प्रस्तर:1- ₹14.15 लाख का अलाभकारी व्यय।

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला नवाचार योजना के अंतर्गत जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा चयनित पाँच परियोजनाओं में ₹ 20.22 लाख की लागत से एक परियोजना स्मार्ट क्लास solutions इन सिक्स स्कूल्स इन रुद्रप्रयाग जनपद भी था जो IL&FS education and technology services ltd. Rajpur road Dehradun द्वारा संचालित था। इन परियोजनाओं का उद्देश्य डिजिटल सिस्टम के माध्यम से छः विद्यालयों में आधुनिक ढंग से शिक्षा प्रदान किया जाना था जिसके लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाने थे एवं प्रत्येक विद्यालय के दो अध्यापकों को प्रशिक्षित करना था एवं सिस्टम सुचारु रूप से कार्य करे इसके लिए समय-समय पर तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी थी। परियोजना एक वर्ष के लिए थी इसके बाद उपकरण विद्यालय को सौपना था एवं ऐसी अपेक्षा थी कि उसके उपरांत प्रशिक्षित अध्यापकों एवं उपलब्ध उपकरणों द्वारा इसकी निरंतरता बनी रहेगी।

संबन्धित अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था को प्रथम किस्त ₹ 6.07 लाख एवं द्वितीय किस्त ₹ 8.09 लाख कुल ₹ 14.15 लाख अवमुक्त किया गया था। संस्था द्वारा प्रथम किस्त से उपकरण क्रय कर सभी छः विद्यालयों में स्थापित कर दिये थे पर सभी उपकरण कार्य नहीं कर रहे थे एवं अधिकतर बंद पड़े थे। विद्यालयों के आग्रह पर संस्था द्वारा भेजे तकनीकी विशेषज्ञों ने जाँच के उपरांत बताया कि उपकरण तो ठीक थे पर उन्हे संचालित करने के लिए servo stabilizer आवश्यक थे। बिना उसके इसका संचालन संभव नहीं था। विभाग द्वारा संस्था से बार-बार आग्रह एवं प्रत्येक निरीक्षण प्रतिवेदन में इस बिन्दु को उठाने के बावजूद भी संस्था द्वारा आतिथि तक servo stabilizer स्थापित नहीं किया गया था परिणामस्वरूप सभी स्थापित सिस्टम बंद पड़े थे एवं वांछित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही थी जबकि परियोजना की निर्धारित अवधि पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय किश्त ₹ 14.15 लाख जारी होने के बावजूद एवं विभाग के बार-बार प्रयास के बावजूद भी संचालन ठप्प था एवं संस्था रुचि नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि संस्था के निरस्तीकरण के लिए लिखने का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था।

परियोजना की लापरवाही एवं कार्य के प्रति उपेक्षा के बावजूद कार्यवाही न करने की तरफ इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि कार्यवाही निदेशालय स्तर से किया जाना है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। संस्था द्वारा कार्य का सही संचालन न करने के बावजूद भी विभाग ने द्वितीय किश्त जारी कर दी इसके अतिरिक्त इकाई ने प्रोजेक्टर लगवाने से पूर्व यह तकनीकी अध्ययन भी नही करवाया की प्रोजेक्टर के सुचारू संचालन हेतु

अन्य उपकरणों की आवश्यकता भी होगी। स्थापित कार्य न करने के कारण बच्चों को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था।

अतः ₹ 14.15 लाख के अलाभकारी व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो-'ब'

प्रस्तर:2- ₹1.02 लाख का व्यपधन एवं 0.22 लाख का अधिक व्यय।

(क) इकाई के चयनित माह के लेखा अभिलेखों प्रमाणक संबन्धित 2015/3 पत्रावलियों एवं रोकड़ बही, सी एवं 11 B M 5 की जाँच के दौरान यह पाया गया कि इकाई द्वारा माह में जिला योजना के अंतर्गत नियोजन एवं 2015/01 आयोजना मद के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इकाई के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था जिसमे भोजन 80 अनुसार कार्यशाला में कुल, बैग इत्यादि मद में कुल ₹ हज़ार व्यय किया 74.00जाना दर्शाया गया था।

अभिलेखों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उपस्थिति पंजिका के अनुसार केवल प्रतिभागियों ने ही कार्यशाला में प्रतिभाग किया था। इस प्रकार 24 56 प्रतिभागी बताई गयी संख्या से कम थे। व्यय प्रमाणकों के अनुसार भोजन₹ 160 प्रति थाली एवं बैग ₹ स्थान को देखते हुए प्रति बैग था जो कार्यशाला एवं 625 अधिक था पर संख्या कम होने के कारण यदि उक्त प्रति व्यक्ति बैग एवं भोजन को स्वीकार भी किया जाए तो 24 प्रतिभागियों की कम संख्या होने के कारण₹ 22192 अधिक व्यय किया गया जो औचित्यहीन था।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि कुछ प्रतिभागी हस्ताक्षर नहीं किए होंगे।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है कारण कि जब कार्यशाला की गयी एवं उसके व्यय का विवरण लेखापरीक्षा के लिए रखा जाना था एवं उपस्थिति पंजिका का प्रावधान एवं हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे तो छूटने का औचित्य समझ से परे था।

अतः ₹ के आवश्यकता से अधिक व्यय दर्शाये जाने का प्रकरण प्रकाश में 22192 लाया जाता है।

(**ख**)आगे चयनित माह में ही यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला योजना 2015/03 के कार्यालय सुदृढीकरण मद के अंतर्गत₹ लाख का 1.02 A 4 साइज़ पेपर एवं टोनर इत्यादि क्रय किया गया था। उक्त क्रय जिला योजना से न करके विभाग के आयोनेत्तर मद स्टेशनरी से किया जाना चाहिए था क्योंकि सुदृढीकरण के अंतर्गत ढांचागत व्यय किए जाने चाहिए था न कि राजस्व व्यय एवं उपभोग्य सामग्री इत्यादि।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि स्टेशनरी इत्यादि में आवंटन कम होने के कारण इस मद से व्यय किया गया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि यदि स्टेशनरी में धनराशि कम थी तो उसकी मांग की जानी चाहिए अथवा कार्यालय व्यय से उसकी पूर्ति की जानी चाहिए न कि जिला योजना के सुदृढीकरण मद से।

अतः रू 1.02 लाख के व्यपधन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:1-</u> नवाचार निधि के अंतर्गत अप्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹13.58 लाख।

कार्यालय में 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत "जिला नवाचार निधि" में विभिन्न योजनाओं से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए:

क्र.सं.	योजना का नाम	संस्था का नाम	लागत ₹ (लाख में)	अप्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की लागत ₹
1	आड़ू, खुमानी, नाशपाती एवं सेब से जैम जैली के निर्माण का प्रशिक्षण	Holy Himalayan Society,गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग	3.00	4	30000
2	Himalayan Educational and Research Developmental Society, Chamba (Tehri Garhwal)	Smart Class Solution Project	10.70	3	214000
3	गाइनोडर्मा मशरूम उत्पादन	बगवान ग्रामोद्योग समिति, श्यामपुर, प्रेमनगर, देहरादून	24.15	4	241500
4	LED बल्ब प्रशिक्षण	बगवान ग्रामोद्योग समिति, श्यामपुर, प्रेमनगर, देहरादून	6.36	4	63600
5	Smart Class Solution प्रोजेक्ट	ILFS Education and Technology Services Ltd. Dehradun	20.22	2	808800
कुल					**1357900**

उपरोक्त के संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करवा दिये जायेंगे।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण- **शून्य**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
शून्य			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-**शून्य**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **रुद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा **में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**

2- सतत् अनियमितायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी.डी.ओ. का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्रीनन्दासिंह भुजवाण	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	26-11-13	31-01-15
2.	श्री कपिल पाण्डेय	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	1-2-15	26-7-16
3	श्री राजेश कुमार	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	27-7-16	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलितकर एक प्रति **कार्यालय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोपेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र